

पंजाबी |

३५

१५/१२/२५

पंजाबी पंजाबी वहील जाणी अनुपरिव्यत हैं। जाणी स्वयं
भी अनुपरिव्यत हैं। इ नही धोर से अन्य कोई वहील
भी उपरिव्यत नही हैं। बारम्बार आवजि लागवाई गई।
परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपरिव्यत नही ह्ये।
अतः राजस्व प्राप्तिना पत्र अधम टाजरी अधम पैरवी
में खासिज दिया जाता है। पंजाबी फौतल शुमार ही।
नम्बर से कम क्षेत्र देखिल दफ्तर ही।

उपखण्ड आंधेकारी
भिनाय (केकड़ी)